संख्या-866/2026/1992/22-2-2025-17(1073)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 02 जुलाई, 2026

विषय:-जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सदानन्द राय पुत्र श्री जमुना राय, निवासी जनपद-गोरखपुर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-36096/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 01.09.2025, दिनांक 15.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सदानन्द राय पुत्र श्री जमुना राय, महथा, थाना-बांसगांव, जनपद-गोरखपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 13/14-11-1981 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा व बन्दूक से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-293/1982 में धारा-302/149, 148 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश-02, बस्ती के दण्डादेश दिनांक 02.08.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.01.2016 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। उक्त घटना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीरनगर की आख्या के अनुसार बन्दी सदानन्द राय द्वारा कुख्यात अपराधी नागेन्द्र राय के सहयोग से वर्ष 1984 में तत्कालीन थानाध्यक्ष महूली श्री कक्कन राम की हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानी पर मु०अ०स०-232/1984, धारा-148, 149, 307, 302, 404 आईपीसी व 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। बंदी द्वारा दिनांक 21.07.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष, 10 माह, 04 दिन तथा 12 वर्ष, 09 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 21.07.2025 तक 71 वर्ष, 11 माह, 19 दिन है।

3- सिद्धदोष बन्दी सदानन्द राय पुत्र श्री जमुना राय की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्ण रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी को मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 21.07.2025 तक अपरिहार 09 वर्ष 10 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 09 माह 04 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (02 व्यक्तियों की हत्या) एवं उक्त घटना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीरनगर की आख्या के अनुसार बन्दी सदानन्द राय द्वारा कुख्यात अपराधी नागेन्द्र राय के सहयोग से वर्ष 1984 में तत्कालीन

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

थानाध्यक्ष महूली श्री कक्कन राम की हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानी पर मु०अ०स०-232/1984, धारा-148, 149, 307, 302, 404 आईपीसी व 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होने जिला मजिस्ट्रेट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर तथा पुलिस अधीक्षक सतकबीरनगर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सदानन्द राय(बन्दी संख्या-171/2015) पुत्र श्री जमुना राय, निवासी जनपद-गोरखपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- **866**/2026/1992(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार बस्ती।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।